बिहार विधान परिषद

206वां बजट सत्र

लिखित उत्तर के लिए अल्पसूचित प्रश्न

29 फरवरी 2024

: **[जल संसाधन - वित्त विभाग - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह].**

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या- 7

आवासीय किराया भत्ता

69. **मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या **वित्त विभाग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिला को विभाग द्वारा अवर्गीकृत श्रेणी में रखा गया है जिसके कारण जिले के सरकारी कर्मियों को आवास भत्ता 8(आठ) प्रतिशत के बजाय मात्र 6(छः) प्रतिशत का ही लाभ मिल रहा है;

(ख) यदि उक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त जिला को कबतक वर्गीकृत श्रेणी में रखकर अन्य जिलों के सरकारी कर्मियों के अनुरुप 8(आठ) प्रतिशत आवासीय किराया भत्ता देने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?

एजेन्सी के विरुद्ध कार्रवाई

70. **श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी गंडक प्रणाली (सारण मुख्य नहर एवं वितरणी प्रणाली) के पुनः स्थापन (ई०आर०एम०) कार्य हेतु 204866.39 करोड़ रुपये की स्वीकृति 2010 -11 में दी गयी थी जिसकों वर्ष 2014 -15 तक पूर्ण कर लिया जाना था;

(ख) क्या यह सही है कि 2014 -15 में कार्य पूर्ण नही होने स्थिति में कार्य पूर्ण करने हेतु 2019 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि अबतक पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली सारण मुख्य नहर एवं वितरणी प्रणाली का कार्य अबतक पूर्ण नही किया जा सका है, जिसके कारण 75792 हेक्टेयर में सिंचाई कार्य बाधित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार दोषी कार्य एजेन्सी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है?

तटीय बांध का निर्माण

71. **श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

क्या **जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिला अंतर्गत पंचायत कोटवा पट्टी रामपुर के किसानों को प्रतिदिन नाव के सहारे गंगा नदी के कोटवा दियारा जाना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नदी के तटीय का बांध निर्माण नहीं होने के कारण किसानों की 200 एकड़ कृषि योग्य भूमि प्रत्येक वर्ष नदी में विलीन हो जाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त स्थान पर तटीय बांध निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक,ार नहीं तो क्यों ?

रजिस्ट्रेशन अभिलेख

72. **मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या **मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही हैं कि शिवहर जिले का 1895 से 1935 तक जमीन के रजिस्ट्रेशन अभिलेख मुजफ्फरपुर में रहने के कारण लोगों को मुजफ्फरपुर जाना परता है जिससे आमजनों को काफी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त वर्षों के जमीन रजिस्ट्रेशन अभिलेख मुजफ्फरपुर से शिवहर मंगाना चाहती है यदि हां तो कब तक ?

कटाव निरोधी कार्य

73. श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):

क्या **जल संसाधन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बगहां अनुमंडल के रामनगर प्रखण्ड अन्तर्गत मसान नदी में प्रति वर्ष हो रहे कटाव से गुदगुदी पंचायत के हरिहरपुर, वृदावन, नवका टोला,सिसवा डीह, बलुआ, टीकुलहीया, गिरी टोला, सेवरही वरवा,रवलवा टोला, सतपुर, चुडिहरवा, धोबिया टोला, गुदगुदी,चमरडीहां गांव चमरडीहा, कलाकुमीया,भैसहीय, औरहिया गांव की भूमि नदी में विलिन हो रही है, तथा बहुत परिवार गृहविहिन हो गये हैं;

(ख) क्या यह सही है कि मसान नदी में लगातार कटाव से बगहां प्रखण्ड के छोपी टोला, कदमहवा, चिउठहां तीन टोला, वैराडीह, मदरहनी, भोलापुर, जुड़ा पकड़ी, धरवरी, भैरोगंज बाजार इत्यादि प्रभावित हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार कटाव से मुक्त करने के लिए कटाव निरोधी कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है?

बुनियादी सुविधाओं का अभाव

74. मो. फारूक (विधान सभा):

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिला के पिपराही प्रखंड मुख्यालय में एक अनुमंडल स्तरीय बुनियादी केंद्र संचालित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त बुनियादी केन्द्र में आधे से अधिक उपक्रम एवं मशीने पुरानी एवं खराब हो चुकी है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त बुनियादी केन्द्र में आंख और कान की जांच के लिए कोई विशेषज्ञ नही है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पुराने उपक्रम एवं मशीने को बदलने एवं समुचित इलाज मरीजों को मिल सके इस पर विचार करना चाहती है यदि हां तो कब तक नही तो क्यों?

दोषी चीनी मिलों पर कारवाई

75. **श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या **पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चपारण जिला की हरिनगर चीनी मिल एवं निर्मित Distillery द्वारा रामरेखा नदी में, लौहरिया चीनी मिल एवं निर्मित Distillery द्वारा सिखराना नदी में, मझवलिया चीनी मिल एवं निर्मित Distillery द्वारा कोहर नदी में, सुगौली चीनी मिल निर्मित Distillery द्वारा सिखराना नदी में एवं बगहा शुगर मिल द्वारा हरहा नदी में जहरीला प्रदूषित पानी छोड़ा जाता है, जिससे सभी नदी का पानी काला एवं प्रदूषित हो चुका है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार दोषी चीनी मिलों के विरुद्ध सरकार Water prevention and Control pollution Act 1974 के तहत कार्रवाई करने का विचार रखती है ?